The Uttar Pradesh Bhikshavriti Pratishedh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978

Act 21 of 1978

Keyword(s):
Beggar, Court, Juvenile Justice Board, Probation Officer, Public Place

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1978)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 23 अगस्त, 1978 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 29 अगस्त, 1978 ई० की बैठक में स्वीकृत किया)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 4 सितम्बर, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1—खंड (क) में दिनांक 6 सितम्बर, 1978 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1975 की धारा 10 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 की धारा 10 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(5) यदि पूर्ववर्ती अंतिम उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति को भिक्षुक माना जाय तो न्यायालय निम्नलिखित कोई आदेश दे सकता है, अर्थात् :—

(क) यदि मामले की परिस्थितियों से न्यायालय का समाधान हो जाय कि उस व्यक्ति द्वारा, जो पूर्वोक्त रूप से भिक्षुक माना गया है, पुनः भिक्षा मांगने की सम्भावना नहीं है तो वह उस व्यक्ति को, सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् प्रतिभू सहित या रहित इस बन्ध-पत्र पर छोड़ सकता है कि वह उस अवधि में, जिसमें बन्ध-पत्र प्रवृत्त रहे, भिक्षा मांगने से प्रविरत रहेगा और सदाचार रखेगा;

(ख) न्यायालय उसे किसी प्रमाणित संस्था में ऐसी अवधि के लिए जो एक वर्ष से कम न होगी और दो वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय किसी अनुवर्ती आदेश द्वारा, और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, ऐसी निरोध अवधि को कम कर सकता है।"

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 23 मार्च, 1978 ई० का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3—खंड (क) देखिये]

PRICE 15 PAISE

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 108 सा० (विधा०)—7-8-79—(1558)—1979—1834+50SS (मेक०)।